

तैयार करें उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति: योगी



पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के उच्च शिक्षा क्षेत्र में निजी निवारकों को प्रोत्साहन देने के लिए नई नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

मंगलवार को इस संवेदन में हुई महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त भवित्व के परिकल्पना पूरी हो चुकी है। सभी 18 मंडलों में विश्वविद्यालयों की स्थापना हो चुकी है। कई मंडलों में निर्माण कार्य जारी है। मंडलों के बाद अब हमारा लक्ष्य एक जिला-एक विश्वविद्यालय का होना चाहिए। राज्यानन्द तक प्रवेश करने के लिए अन्य जनपदों में विश्वविद्यालय की उपलब्धता है, जिसकी कौशल विविधालयों की स्थापना हो चुकी है।

राष्ट्रपति को फिजी का सर्वोच्च सम्मान गिलाना भारत के लिए गैरेव का क्षण: मुख्यमंत्री

लखनऊ। राष्ट्रपति द्वारा यूर्पी को फिजी के सर्वोच्च सम्मान 'कपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी' से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान फिजी के राष्ट्रपति ने प्रदान किया। इस उपर्योगी पर उत्तर प्रदेश के सहायता को सहकरण के रूप में उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा में एक विशेष भारत के सबसे युवा राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा में एक विशेष यथोचित उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति तैयार कर प्रस्तुत करें। नई नीति में निवेशकों के स्टाम्प इयर्टी में छूट, स्टेकहोल्डर्स से संवाद करें और व्यवस्थापन में भी बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि एक परिवार के सदस्यों के बीच अचल संवित द्वारा अपनी संपत्ति को अपने परिवारी जनों के नाम किए जाने पर देव्य स्टाम्प शुल्क भी 5,000 रुपये तक किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिक खर्च के कारण प्रायः जनप्रतिनिधियों व भाजपा नेताओं के स्थिति में विवाद की स्थिति बनती है और कोर्ट केस भी होते हैं। न्यूनतम स्टाम्प शुल्क होने से परिवार के बीच संवलमेंट आसानी से हो सकेगा। आकांक्षात्मक एक महत्वपूर्ण विवाद की प्रथानंदी होना चाहिए। वर्तमान 16.5 सालों में विश्वविद्यालयों की स्थापना पर अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रायाधिन होना चाहिए। इसे प्रायः एरोगेंटर 25.6 प्रतिशत है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 2035 तक 50 प्रतिशत तक बढ़ाना आवश्यक है। निजी निवेश प्रोत्साहन नीति इस अंतर्गत विश्वविद्यालय की उपलब्धता है, जिसकी कौशल विविधालयों की स्थापना हो चुकी है।

यूपी को बीते जुलाई माह में हासिल हुआ कुल 17304.60 करोड़ का राजस्व

● वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह जुलाई तक कर राजस्व के अन्तर्गत गिला 68477.31 करोड़ का राजस्व सुरु रहा।



पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खान ने बताया कि प्रदेश के मुख्य कर्त्तव्य राजस्व वाले मद्दों में वित्तीय वर्ष 2024-25 के जुलाई माह में कुल 17304.60 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। इस वर्ष माह जुलाई में यह गिला 68477.31 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ।

2024 में कुल 3952.53 करोड़ की वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह जुलाई तक कर राजस्व के अन्तर्गत 68477.31 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो माह जुलाई तक कर राजस्व प्राप्ति के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य का 76.4 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह गिला 2025 में प्राप्ति 3423.98 करोड़ होती थी। इसी प्रकार आवाकारी मद्दों में यह गिला 2024 की राजस्व प्राप्ति 2225.00 करोड़ होती है। इसी प्रकार गिला 2024 की राजस्व प्राप्ति 1886.26 करोड़ राजस्व अधिक प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि माह जुलाई 2024 में जीएसटी एवं वैट के अन्तर्गत 9448.83 करोड़ की प्राप्ति हुई है, जो माह जुलाई में राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य का 70.4 प्रतिशत है। जीएसटी एवं वैट के अन्तर्गत गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष माह जुलाई में 663.29 करोड़ की अधिक प्राप्ति हुई है। उन्होंने बताया कि परिवर्तन के अन्तर्गत माह जुलाई, 2024 की राजस्व प्राप्ति 902.55 करोड़ अधिक की प्राप्ति हुई है, जो माह जुलाई 2024 में प्राप्ति 10177.65 करोड़ होती है। जीएसटी एवं वैट के अन्तर्गत 775.98 करोड़ रही थी। इस प्रकार उन्होंने बताया कि परिवर्तन मद्दों में यह गिला 2024 की राजस्व प्राप्ति 2644.37 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई है। उन्होंने बताया कि जबकि गत वर्ष माह जुलाई, 2023 में प्राप्ति 2678.29 करोड़ रही थी। उन्होंने बताया कि केरक्टर राजस्व प्राप्ति की आवाकारी के अन्तर्गत माह जुलाई, 2024 में प्राप्ति 24 घंटे देंगे अपनी सेवाएं दीर्घी से बदल देंगे।

● वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह जुलाई तक कर राजस्व के अन्तर्गत गिला 68477.31 करोड़ का राजस्व सुरु रहा।

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खान ने बताया कि प्रदेश के मुख्य कर्त्तव्य राजस्व वाले मद्दों में वित्तीय वर्ष 2024-25 के जुलाई माह में कुल 17304.60 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। इस वर्ष माह जुलाई, 2023 में यह गिला 68477.31 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के मुख्य कर्त्तव्य राजस्व वाले मद्दों में यह गिला 2024 की राजस्व प्राप्ति 2225.00 करोड़ होती है। इसी प्रकार गिला 2024 की राजस्व प्राप्ति 1886.26 करोड़ राजस्व अधिक प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के मुख्य कर्त्तव्य राजस्व वाले मद्दों में यह गिला 2024 की राजस्व प्राप्ति 902.55 करोड़ अधिक की प्राप्ति हुई है, जो माह जुलाई 2024 में प्राप्ति 10177.65 करोड़ होती है। जीएसटी एवं वैट के अन्तर्गत 775.98 करोड़ रही थी। इस प्रकार उन्होंने बताया कि परिवर्तन मद्दों में यह गिला 2024 की राजस्व प्राप्ति 2644.37 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई है। उन्होंने बताया कि जबकि गत वर्ष माह जुलाई, 2023 में प्राप्ति 2678.29 करोड़ रही थी। उन्होंने बताया कि केरक्टर राजस्व प्राप्ति की आवाकारी के अन्तर्गत माह जुलाई, 2024 में प्राप्ति 24 घंटे देंगे अपनी सेवाएं दीर्घी से बदल देंगे।

● वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह जुलाई तक कर राजस्व के अन्तर्गत गिला 68477.31 करोड़ का राजस्व सुरु रहा।

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खान ने बताया कि प्रदेश के मुख्य कर्त्तव्य राजस्व वाले मद्दों में वित्तीय वर्ष 2024-25 के जुलाई माह में कुल 17304.60 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। इस वर्ष माह जुलाई, 2023 में यह गिला 68477.31 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के मुख्य कर्त्तव्य राजस्व वाले मद्दों में यह गिला 2024 की राजस्व प्राप्ति 2225.00 करोड़ होती है। इसी प्रकार गिला 2024 की राजस्व प्राप्ति 1886.26 करोड़ राजस्व अधिक प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के मुख्य कर्त्तव्य राजस्व वाले मद्दों में यह गिला 2024 की राजस्व प्राप्ति 902.55 करोड़ अधिक की प्राप्ति हुई है, जो माह जुलाई 2024 में प्राप्ति 10177.65 करोड़ होती है। जीएसटी एवं वैट के अन्तर्गत 775.98 करोड़ रही थी। इस प्रकार उन्होंने बताया कि परिवर्तन मद्दों में यह गिला 2024 की राजस्व प्राप्ति 2644.37 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई है। उन्होंने बताया कि जबकि गत वर्ष माह जुलाई, 2023 में प्राप्ति 2678.29 करोड़ रही थी। उन्होंने बताया कि केरक्टर राजस्व प्राप्ति की आवाकारी के अन्तर्गत माह जुलाई, 2024 में प्राप्ति 24 घंटे देंगे अपनी सेवाएं दीर्घी से बदल देंगे।

● वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह जुलाई तक कर राजस्व के अन्तर्गत गिला 68477.31 करोड़ का राजस्व सुरु रहा।

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खान ने बताया कि प्रदेश के मुख्य कर्त्तव्य राजस्व वाले मद्दों में वित्तीय वर्ष 2024-25 के जुलाई माह में कुल 17304.60 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। इस वर्ष माह जुलाई, 2023 में यह गिला 68477.31 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के मुख्य कर्त्तव्य राजस्व वाले मद्दों में यह गिला 2024 की राजस्व प्राप्ति 2225.00 करोड़ होती है। इसी प्रकार गिला 2024 की राजस्व प्राप्ति 1886.26 करोड़ राजस्व अधिक प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के मुख्य कर्त्तव्य राजस्व वाले मद्दों में यह गिला 2024 की राजस्व प्राप्ति 902.55 करोड़ अधिक की प्राप्ति हुई है, जो माह जुलाई 2024 में प्राप्ति 10177.65 करोड़ होती है। जीएसटी एवं वैट के अन्तर्गत 775.98 करोड़ रही थी। इस प्रकार उन्होंने बताया कि परिवर्तन मद्दों में यह गिला 2024 की राजस्व प्राप्ति 2644.37 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई है। उन्होंने बताया कि जबकि गत वर्ष माह जुलाई, 2023 में प्राप्ति 2678.29 करोड़ रही थी। उन्होंने बताया कि केरक्टर राजस्व प्राप्ति की आवाकारी के अन्तर्गत माह जुलाई, 2024 में प्राप्ति 24 घंटे देंगे अपनी सेवाएं दीर्घी से बदल देंगे।

● वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह जुलाई तक कर राजस्व के अन्तर्गत गिला 68477.31 करोड़ का राजस्व सुरु रहा।

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

</

न्याय में देरी सुधार जरूरी

भारत के प्रधान न्यायाधीश ने अदालतों में न्याय मिलने में देरी से पैदा निराशा को देखते हुए तत्काल सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने बहुत से लोगों द्वारा व्यक्त की जा रही चिन्ता का साझा किया है। भारतीय अदालतों में लगने वाले लंबे समय से जनता में भारी निराशा व्याप्त है जिससे 'न्यायिक प्रक्रिया' एक अवांछित परेशानी बन गई है। एक हालिया बयान में प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डी.वार्ड. चंद्रचूड़ ने कहा, 'लोग अदालतों में चलने वाली लंबी कार्यवाहियों से परेशान हो गए हैं और प्रक्रिया अपने आप में दंड बन गई है।' यह कठोर टिप्पणी भारत की कानूनी व्यवस्था में लंबित मामलों के परेशान करने वाले मुद्दे को तत्काल संबोधित करने की आवश्यकता उजागर करती है। भारतीय न्यायपालिका में भारी संख्या में मुकदमे लंबित हैं। यह लंबे समय से जनता में व्याप्त निराशा तथा विधिक विश्लेषण का विषय बनी हुई है। भारत के प्रधान न्यायाधीश का हालिया बयान इस मुद्दे की गभीरता रेखांकित करता है। इससे स्पष्ट होता है कि अदालतों में विलंब से न केवल न्यायिक प्रक्रिया बाधित होती है बल्कि कानून व्यवस्था में जनता का विश्वास भी घटता है। हालिया अनुमानों के अनुसार, भारतीय न्यायपालिका में विभिन्न स्तरों पर 40 मिलियन से अधिक मुकदमे लंबित हैं और वर्तमान गति के अनुसार इनको निपटाने में 300 साल लग सकते हैं। इस भारी संख्या में दीवानी, आपराधिक और प्रशासनिक मामले शामिल हैं जिनमें से अनेक सालों या यहां तक कि दशकों से लंबित हैं।

A portrait of Arvind Subramanian, an Indian economist, wearing glasses and a suit, speaking at a podium. He is gesturing with his hands while speaking. The background is blurred, showing what appears to be a formal event or conference.



जापान की नई रक्षा रणनीति

दुनिया इस समय हिरोशिमा व नागासाकी पर 79 वर्ष पहले हुए आणविक हमलों की याद कर रही है। ऐसे समय जापान अपनी रक्षा रणनीति में व्यापक परिवर्तन कर रहा है।



ट निया इस समय हिरोशिमा व नागासाकी पर 79 वर्ष पहले हुए आणविक हमलों की याद कर रही है। इसके महत्वपूर्ण मोड़ पर जापान अपनी रक्षणीति में व्यापक परिवर्तन कर रहा है 6 और 9 अगस्त, 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए अणु बममें से नष्ट हो गए थे। यह द्वितीय विश्वयुद्ध तथा युद्धों के इतिहास में परिवर्तनकारी मोड़ था। इस बमबारी से दसियों हजार लोग तत्काल मर गए थे, जबकि विकिरण के कारण बीमारियों व घावों से मरने वाले लोगों की कुल संख्या 200,000 से अधिक थी। पहले हिरोशिमा पर 'लिटिल ब्वाय' कहे जाने वाले अणु बम से हमला किया गया जिससे ज्यादातर शहर नष्ट हो गया।



गया। शांतिवाद के प्रति यह प्रतिबद्धता जापान की पहचान का प्रमुख बिंदु बन गई। इससे उसे विश्व समुदाय में बहुत सम्मान प्राप्त हुआ तथा उसे कई बानोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन वर्तमान समय में जब दुनिया भू-राजनीतिक खतरों का लगातार समानन्द कर रही है, जापान ने अपनी रक्षा रणनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन की घोषणा की है जो जापान सरकार ने अपनी जीडीपी का प्रतिशत रक्षा पर खर्च करने का निर्णय किया है जो लंबे समय से चले आ रहे शांतिवादी दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन है। उत्तर कोरिया और चीन से बढ़े खतरों को देखते हुए इस परिवर्तन से जापान अब वैश्विक स्तर पर सऊदी अरब के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया है। जापान का नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति क्षेत्र में बढ़तनावों की प्रतिक्रिया है। उत्तर कोरिया पहले ही ऐसी मिसाइलों का परीक्षण किया है जो जापानी क्षेत्र तक पहुंचने वाले सक्षम हैं। इसके साथ ही दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता और उसकी व्यापक क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं व टोकियों में खतरे की घंटियां बजा दी हैं।

इन परिवर्तनों ने जापान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाई अपनी रक्षा रणनीति पर पुनर्विचार के लिए मजबूत किया है। जापान के शांतिवादी संविधानों

को समीक्षा के मजबूत पैरोकार पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने तर्क दिया था जिसके क्षेत्रीय खतरों का मुकाबला करने के लिए किसी देश को पहले अपनी सैनिक क्षमतायें मजबूत करनी चाहिए। हालांकि आबे के कार्यकाल में कुछ विधायक परिवर्तन कर मझोले दर्जे के 'आत्मरक्षण बल' के गठन की अनुमति दी गई, परन्तु जनता के व्यापक विरोध के कारण अनुच्छेद 9 को पूरी तरह नहीं बदला जा सका। लेकिन इसके बावजूद मजबूत जापानी सेना का दृष्टिकोण लगातार वर्तमान नीतियों को प्रभावित कर रहा है।

'हाउस आफ कॉसिलिस' व 'हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव्स' में रह चुके वर्तमान प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने अपना नया रक्षा एजेंडा सामने रखा है। लेकिन जनता की भावनायें मोटेतौर से इन परिवर्तनों वे खिलाफ बनी हुई हैं। 'कोदो न्यूज़ एजेंसी' के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश की 80 प्रतिशत जनसंख्या संविधान संशोधन के प्रयासों का विरोध कर रही है। इससे जापानी जनता में शांतिवाद वे प्रति गहरी प्रतिबद्धता प्रकट होती है हिरोशिमा और नागासाकी की वर्षगांठ पर रक्षा नीतियों में परिवर्तन का निर्णय खासतौर से महत्वपूर्ण है। नाभिकीय युद्ध की भावनक यादें युद्ध की विभीषिका तथा शांति के महत्व को याद दिलाती हैं हिरोशिमा और नागासाकी का विनाश ने

केवल एक सैनिक रणनीति, बल्कि अभूतपूर्व मानवीय त्रासदी भी थी। अमेरिका ने युद्ध को समाप्त करने के नाम पर इन आणविक बम हमलों को सहारा ठहराया था, पर इन क्रूर वैज्ञानिक प्रयोगों ने अवर्णनीय पीड़ा तथा दीर्घकालीन परिणामों को जन्म दिया था।

अगु बमों के हमलों ने जापान के एक शांति-उन्मुख संविधान अपनाने के मजबूर किया, जिसमें टकराव पर निशस्त्रीकरण और संवाद को महत्व दिया गया था। अनुच्छेद 9 उम्मीद की किरण तथा जापान की प्रतिबद्धता का प्रतीक है जो सुनिश्चित करता है कि ऐसा विनाशक फिर कभी नहीं होगा। ऐसे में नीतिगत परिवर्तन जापान में शांतिवाद के भविष्य पर महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है। इसके साथ ही वह अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में जापान की भूमिका पर अपने रक्षा बजट बढ़ाने तथा अपनी सैनिकी क्षमताओं का आधुनिकीकरण करने वें साथ यह कदम एक जटिल व प्रतिवर्योगी हथियारों की दौड़ शुरू कर सकता है। एक समय शांतिवाद की उम्मीद के किरण समझा जाने वाला देश अब स्वयं को एक दोराहे पर खड़ा पाता है। उसके शांति के प्रति अपनी ऐतिहासिक प्रतिबद्धता तथा लगातार बढ़ती समकालीन सुरक्षा चुनौतियों को संबोधित करने वें

बीच संतुलन स्थापित करना है। हिरोशिमा और नागासाकी की विरासत बनी हुई है। यह दुनिया को युद्ध, खासकर नाभिकीय युद्ध के विनाशकारी परिणामों के प्रति चेतावनी देते हुए शांति के स्थाई मूल्यों को आगे बढ़ाने को आवश्यकता रेखांकित करता है। अपनी नई रक्षा रणनीति पर आगे बढ़ते हुए जापान को अपने अतीत और वर्तमान को एकसाथ रख कर देखना होगा तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि शांति और मानवता के सिद्धान्त उसकी राष्ट्रीय पहचान का प्रमुख अंग बने रहें। हिरोशिमा और नागासाकी की छाया में जापान की रक्षा नीति में परिवर्तन उसके इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बनने जा रहा है। सारी दुनिया की नजर इस समय जापान पर है। वह देख रही है कि जापान लगातार बढ़ते अनिश्चित वैश्विक परिवृश्य में अपना भविष्य सुरक्षित रखते हुए शांति के प्रति प्रतिबद्धता कैसे बनाए रखता है।

हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए भयानक अग्नि बम हमलों ने द्वितीय विश्व युद्ध में परिवर्तनकारी मोड़ पैदा किया था। इसके परिणामस्वरूप जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और युद्ध समाप्त हुआ। इन त्रासद घटनाओं ने जापान की राष्ट्रीय चेतना पर व्यापक प्रभाव डाला और उसे शांतिवाद के प्रति प्रतिवद्ध किया। इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने जापानी संविधान में शामिल किया गया। लेकिन उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षणों से बढ़ते भू-राजनीतिक खतरे तथा चीन की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए वर्तमान समय में जापान के पास अपने ‘शांतिवादी’ दृष्टिकोण पर पुनः विचार करने के सिवा कोई और रास्ता नहीं है।

इस बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य
तथा दुनिया में जारी युद्धों के कारण ऐसा
अस्थिरता से जापान को अपने शांतिवादी
दृष्टिकोण पर पुनः विचार करना पड़ रहा
है। इसके कारण जापान ने अपने रक्षा
बजट में उल्लेखीय वृद्धि की है। जापान
दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक
शक्ति है और वह अद्यतन तकनीक के
मामले में भी किसी से पीछे नहीं है। ऐसे
में जीडीपी का 2 प्रतिशत रक्षा पर खर्च
करने वाला जापान जल्द ही एक
महत्वपूर्ण सैनिक शक्ति बन जाएगा।
लेकिन इसके बावजूद देश में शांति के
प्रति दीर्घकालीन प्रतिबद्धता पर बहस हो
रही है।

बांग्लादेश में उपद्रव भारत के लिए झटका



शेख हसीना सरकार के साथ बहुत सहज कामकाजी संबंध बनाने के बाद अब उसे नई सरकार से निपटना होगा। दूसरे, उसे इस तथ्य से भी ज़ूँझना होगा कि अंतर्रिम सरकार के रहते हुए भी वास्तविक नियंत्रण सेना के पास ही रहेगा। तीसरे, अगर बांग्लादेश में नई सरकार बनाने के लिए चुनाव होते हैं तो भारत को एक बिल्कुल नए राजनीतिक ढांचे से निपटना होगा। भारत ने शेख हसीना के पीछे अपना पूरा जोर लगा दिया है, ऐसे में उसे विपक्षी दलों के साथ संबंध बनाने में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है।

सो मवार को प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश से भागने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन बांगलादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना के हटने का जश्न मना रहे हैं, लेकिन उनका हटना भारत के लिए एक बड़ी झटका है। उनके से निपटना हांगा। भारत न शख हसीना के पाछे अपना पूरा जोर लगा दिया है, ऐसे में उसे विपक्षी दलों के साथ संबंध बनाने में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है।

अगर पाकिस्तान समर्थक बांगलादेश नेशनल पार्टी (बीएनपी) सत्ता में लौटी है तो भारत भी

हत्ती नारा के लिए एक बड़ा झटका हा। उनके प्रधानमंत्री रहते हुए न केवल नई दिल्ली-दाका संबंध प्रगाढ़ हुए, बल्कि अवामी लीग की नेता भारत के सामरिक हितों के प्रति भी सजग रहीं। उन्होंने चीन के साथ संबंधों को संतुलित करते हुए भारत के सामरिक हितों को भी ध्यान में रखने की कोशिश की। उनके 15 साल के अखंड शासन के दौरान नई दिल्ली-दाका संबंधों में स्थिरता और आपसी विश्वास दोनों ही रहे। लेकिन बांगलादेश में सेना के कार्यभार संभालने और अंतर्रिम सरकार के कार्यभार संभालने के साथ ही भारत के लिए चिंता की बहुत बड़ी वजह है। एक तो यह कि पिछले 15 साल में पाठा (बाइंगना) सत्ता न लाई रही हो तो नारा ना मुश्किल में पड़ सकता है। इसने हाल ही में इंडिया आउट अभियान चलाकर बांगलादेश में भारत विरोधी भावनाओं को भड़काया था, जो सौभाग्य से जल्दी ही खत्म हो गया। विपक्षी दल इन भावनाओं को फिर से हवा दे सकते हैं, खासकर यह देखते हुए कि नई दिल्ली की उनकी सरकार के साथ कितनी निकटता है।

दरअसल, नई दिल्ली के लिए दाका के साथ संबंध शेष हसीना के तहत एक सोनाली अध्याय (स्वर्णिम अध्याय) रहे हैं, जिन्होंने नई दिल्ली की उमीदों पर खरा उतरते हुए महत्वपूर्ण तीस्ता जल

बंटवारे समझौते को पूरा करने में भारत की अक्षमता को कम करके आंका। लेकिन नई सरकार के सत्ता में आने के बाद यह सब बदल सकता है। इसलिए, नई दिल्ली को अब एक मुश्किल कूटनीतिक स्थिति से चतुराई से निपटना होगा। ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि बांगलादेश की स्थिता में उसके आर्थिक से लेकर सामरिक तक सभी महत्वपूर्ण दांव लगे हुए हैं, एक ऐसे देश में जिसके साथ उसकी 4,096 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है।

यह भी उम्मीद की जाएगी कि बांग्लादेश में स्थिति जल्द ही स्थिर हो जाएगी, क्योंकि यह अच्छी तरह से पता है कि वहां लंबे समय तक अस्थिरता भारत के लिए गंभीर सुरक्षा और आर्थिक परिणाम हो सकती है। उदाहरण के लिए, नई दिल्ली की सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, शेख हसीना ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही बांग्लादेशी क्षेत्र में शरण लिए हुए पूर्वोत्तर के उग्रवादियों पर नकेल कसी थी।

उनकी सरकार द्वारा पाकिस्तान समर्थक भ्राण्डेनपी के साथ-साथ उसके सहयोगी जमात-उद-दावा को लगातार निशाना बनाए जाने से भी भारत के सुरक्षा हितों को मदद मिली। भारत के लिए उतनी ही चिंता की बात बांगलादेश में फैफाजात-ए-इस्लाम जैसे अन्य कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों का उदय है, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से पहले भारत विरोधी प्रदर्शन आयोजित किए थे। म्यांमार से भागकर बांगलादेश में शरण लेने वाले दस लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थी भी भारत के लिए सुरक्षा संबंधी चिंता का विषय रहे हैं। अवैध बांगलादेशी प्रवासियों की एक बड़ी संख्या नहीं सहले से ही भारत में है। इसलिए भारत को अपने संकटग्रस्त देश से भागने के इच्छुक शरणार्थियों की ओर अधिक आमद की भी चिंता होगी। पूर्वोत्तर में अंतर्च भारतीय राज्य बांगलादेश की सीमा से लगे हुए हैं, ऐसे में इस तरह की कोई भी आमद इस क्षेत्र के लिए एक बड़ी सुरक्षा चुनौती बन सकती है।

इसके अलावा, वहां लंबे समय तक अशांति रहने से रेल संपर्क और समुद्री मार्ग का उपयोग करके बांगलादेश के माध्यम से पूर्वोत्तर तक कनेक्टिविटी बढ़ाने के भारतीय प्रयासों को नुकसान हो सकता है। भारत लंबे समय से कमज़ोर सेलीगुड़ी कॉरिडोर को बायपास करने के लिए बैकल्पिक मार्गों की तलाश कर रहा है, जिसे अगर अवरुद्ध कर दिया जाता है तो यह पूरे पूर्वोत्तर तक भूमि पहुंच को काट सकता है। बांगलादेश के माध्यम से पूर्वोत्तर तक छोटे मार्गों की मांग, जिससे माल की आवाजाही के लिए समय और लागत में कमी आएगी, को भी झटका लग सकता है। भूमि बंदरगाहों पर ट्रकों की आवाजाही ठप होने के बाद कोटा आंदोलन ने द्विपक्षीय व्यापार को पहले ही प्रभावित कर दिया है। हालाँकि अब सीमा पार व्यापार फिर से शुरू हो गया है, लेकिन दोनों तरफ से भारी अर्थिक नुकसान हुआ है। लंबे समय तक उथल-पुथल दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को और ख़राब कर सकती है।

बांगलादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वित्त वर्ष 2022-23 में, द्विपक्षीय व्यापार 15.9 बिलियन डॉलर था, हालाँकि यह भारत के पक्ष में भारी रूप से ढ़ुका हुआ है। भारत के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा है क्योंकि उसका करीबी पड़ोसी अपने शासन और राजनीतिक परिदृश्य में कुछ बड़े बदलाव देख रहा है। इसका मतलब है कि उसे बांगलादेश में नई व्यवस्था के प्रभारी व्यक्ति तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी कूटनीतिक और राजनीतिक ताकत लगानी होगी।

मंदी का खतरा

શેરવ હસ્તીના કા ભવિષ્ય

इतिहास अपने आपको दोहराता है। बांग्लादेश और शेख हसीना के मामले में शायद यही हो रहा है। 15 अगस्त 1975 को जब भारत आजादी की 49 वीं वर्षगांठ मना रहा था, उसी दिन बांग्लादेश की सेना ने बगावत कर बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान के लगभग पूरे परिवार की हत्या कर दी थी। शेख हसीना और उनकी बहन रेहाना उस समय यूरोप में थीं और नरसंहार से बच गईं। अब शेख हसीना ने विरोध के दबाव में न सिर्फ त्यागपत्र दिया बल्कि वे एक बार फिर भारत आने को मजबूर हुई हैं। पता नहीं वे यहाँ राजनीतिक शरण मांगेंगी या किसी यूरोपीय देश जाएंगी। अगस्त 1975 में वे सीधे भारत आयीं थीं और उनको दिल्ली के पंडारा रोड में शरण मिली थी। इंदिरा गांधी की सरकार ने हसीना को राजनीतिक शरण दी थी। वे अगले छह वर्षों तक पंडारा रोड स्थित घर में रहीं। क्या इस बार भी ऐसा होगा? भारत को लगता था कि हसीना ने अपने देश में मुस्लिम कट्टरवाद को काबू कर लिया है। लेकिन हसीना न केवल विफल रहीं, बल्कि हंगामी भीड़ द्वारा बंग बंधु मुजीबुर रहमान की मूर्तियां तोड़े जाने से वहाँ मुक्ति संग्राम की विरासत तथा भारत के सहयोग पर संशय की स्थिति है। सवाल है कि शेख हसीना का भविष्य कैसा होगा?

- जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

धर्मांतरण पर कठोर कानून

उत्तर प्रदेश सरकार ने नए धर्मांतरण-विवोधी कानून में सच्चा नियम बनाए हैं। इस पर कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी सवाल खड़े कर रहे हैं। आजादी के बाद से ही सरकार की लापरवाही और अनदेखी के चलते बड़ी संख्या में गरीब और अदिवासी वर्ग के लोगों को मुफ्त सुविधाओं, शिक्षा और चिकित्सा के लालच में ईसाई व मुसलमान बनाने के कदम उठाए गए। विडंबना है कि प्रशासनिक व न्यायिक लापरवाही के कारण धर्म परिवर्तन के बावजूद ऐसे अनेक लोग जाति के नाम पर मिल रहे आरक्षण का भी भरपूर लाभ उठा रहे हैं। यह प्रवृत्ति अभी भी जारी है। मानव जरूरत नहीं है। हमारे अनेक बड़े उद्योगपति सामाजिक संस्थाएं गठित सहायता कर रही हैं। फैदे-वैध-अवैध तरीके से करने वाली अनेक संस्थाएं गरीबों व निरक्षरों परिवर्तन में लिस पाई उनका उद्देश्य भारत जनसंख्या संरचना बदलना है। उसकी एकता और असर प्रहार करना है। ऐसे की अनुमति देना देश के से खिलवाड़ करना है। प्रदेश की तरह दूसरे राज्यों भी कठोर धर्मांतरण कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।

बांग्लादेश में तख्तापलट

बांग्लादेश में तखापलट के बाद उपद्रवियों ने राष्ट्रपिता मुजीबुर रहमान की मूर्तियां तोड़ी हैं। इससे तखापलट में पाकिस्तान और चीन का हाथ होने की आशंका है। बांग्लादेश में लंबे समय से इस्लामवादी व जिहादी ताकतें शेख हसीना सरकार द्वारा लागू सेक्युलरिज्म का विरोध कर रही थीं। तखापलट के बाद हिंदुओं के घरों और मंदिरों पर हो रहे हमले बांग्लादेश में कठुरपंथियों के उभार तथा वहां सेक्युलरिज्म के समाप्त होने का खतरा पैदा करते हैं। यह स्थिति भारत व खासकर पश्चिम बंगाल सरकार के लिए चिन्ताजनक है। यदि बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले हमले बंद नहीं होते हैं तो बड़ी संख्या में वहां से दिँहुओं के भारत पलायन का खतरा बना हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से अपील की है कि वे सांति बनाए रखें तथा कोई भड़काऊ बयानबाजी न करें। उन्होंने भारत सरकार से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। भारत सरकार ने नेता विपक्ष राहुल गांधी को भी पूरी स्थिति से अवगत कराया है। उम्मीद है कि भारत के सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर पूरे घटनाक्रम पर गौर करेंगे।

- हेमा हरि उपाध्याय, उज्जैन

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com

